प्रेस नोट
दिनांक – 29.10.2026

थाना परसपुर पुलिस द्वारा छेड़खानी, गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 10.10.2026 को थाना परसपुर क्षेत्रांर्गत रहने वाली एक महिला द्वारा थाना परसपुर मे लिखित तहरीर दी गयी कि उनका देवर सोनू पुत्र स्व0 बजरंगी पाल उनके घर आकर उनके साथ छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर अभियुक्त द्वारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना परसपुर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही—

आज दिनांक 29.10.2026 को थाना परसपुर पुलिस द्वारा घटना कारित करने के वांछित अभियुक्त सोनू पुत्र स्व0 बजरंगी पाल निवासी ग्राम अकेले बीर पूरे लाली, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

1. सोनू पुत्र स्व0 बजरंगी पाल निवासी ग्राम अकेले बीर पूरे लाली, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01- मु0अ0सं0 456/2026, धारा 115(2)/352/351(3)/64(2)(f) बीएनएस, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 अवनीश यादव
2. हे0का0 योगेश पासवान।
3. का0 सर्वेश जायसवाल।
4. का0 संतोष वर्मा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

ब्रीफ नोट – विवेचना में गंभीर अनियमितता

विषय: महिला को अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से विवेचना में स्वेच्छाचारिता बरतने पर उ0नि0 अखिलेश कुमार पाण्डेय का निलंबन।

थाना मोतीगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 192/2026 की विवेचना में उ0नि0 अखिलेश कुमार पाण्डेय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों एवं उपलब्ध तथ्यों की अनदेखी कर आरोप पत्र प्रेषित करने तथा प्रकरण को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने की गंभीर अनियमितताएँ सामने आईं। आरोप है कि विवेचक ने वादिनी को अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से साक्ष्यों के विपरीत कार्रवाई की तथा उसे पुनः प्रार्थना पत्र देकर उच्चाधिकारियों के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया जानबूझकर पक्षपातपूर्ण कार्यवाही एवं कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही परिलक्षित होने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा उ0नि0 अखिलेश कुमार पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जाँच के आदेश दिए गए।

प्रेस नोट
दिनांक – 29.10.2026

थाना कौड़िया पुलिस द्वारा फर्जी कम्पनी बनाकर कम ब्याज पर लोन दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण—

वादी राहुल कुमार मिश्र निवासी ग्राम भैरमपुर, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा द्वारा थाना कौडिया पर लिखित तहरीर दी गयी कि वर्ष 2023 में उसकी मुलाकात बनगाई कौड़िया रेलवे स्टेशन पर मुराद अली पुत्र वली मोहम्मद निवासी जनपद हापुड़, हाल पता जनपद मुरादाबाद से हुई थी। अभियुक्त मुराद अली द्वारा स्वयं को **यूके फिन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड** नामक संस्था का संचालक बताते हुए लोगों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने की बात कही गयी तथा वादी को उक्त कम्पनी में एजेन्ट बनाने का विश्वास दिलाया गया। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि कम्पनी के माध्यम से लोन लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति से फाइल चार्ज के रूप में 4,500/- रुपये तथा लोन धनराशि के अनुसार अन्य शुल्क एवं बीमा धनराशि ली जाएगी। अभियुक्त की बातों पर विश्वास करते हुए वादी द्वारा अपने सगे-सम्बन्धियों एवं परिचितों से सम्पर्क कर लगभग 25 व्यक्तियों से 4,500/- रुपये प्रति व्यक्ति की दर से कुल 1,12,500/- रुपये तथा 12 व्यक्तियों के बीमा के नाम पर 17,700/- रुपये प्रति व्यक्ति की दर से कुल 2,12,400/- रुपये, इस प्रकार कुल **3,24,900/- रुपये** एकत्र किए गए। उक्त धनराशि में से 86,000/- रुपये अभियुक्त मुराद अली के यूनियन बैंक खाते में ऑनलाइन जमा किए गए तथा शेष 2,38,900/- रुपये दिनांक 29.09.2023 को ग्राम भैरमपुर में आयोजित कम्पनी की मीटिंग के दौरान अभियुक्त के साथ कार्य करने वाले अरमान एवं शिफा को दिए गए। धनराशि प्राप्त करने के बाद अभियुक्तगण द्वारा वादी एवं संबंधित व्यक्तियों को लोन एवं बीमा से संबंधित कूटरचित फाइलें/दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए, लेकिन इसके बाद न तो किसी व्यक्ति को लोन उपलब्ध कराया गया और न ही जमा की गयी धनराशि वापस की गयी। काफी समय बीतने के बाद वादी द्वारा अभियुक्तगण से धनराशि वापस करने अथवा लोन उपलब्ध कराने के संबंध में सम्पर्क किया गया, जिस पर अभियुक्तगण द्वारा गाली-गलौज करते हुए धनराशि वापस न करने तथा दोबारा रुपये मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गयी। वादी की लिखित तहरीर को आधार पर थाना कौड़िया पर सुसंगत धाराओ मे अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही—

दिनांक 29.10.2026 को थाना कौड़िया पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मुराद अली पुत्र वली मोहम्मद निवासी ग्राम राजपुर, गढ़मुक्तेश्वर, थाना सिम्भावली, जनपद हापुड़, हाल पता असलातपुरा, थाना सिविल लाइन्स, जनपद मुरादाबाद को कर्नलगंज तहसील के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण—

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त मुराद अली ने अपने साथी अरमान उर्फ आसिफ निवासी जलालपुर, जनपद मेरठ तथा शिफा के साथ मिलकर यूके फिन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्जी कम्पनी बनाकर लोगों को कम ब्याज पर लोन दिलाने का झांसा देने तथा फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस एवं बीमा के नाम पर रुपये प्राप्त करने की बात बताई। अभियुक्त के कथनानुसार, वर्ष 2023 में वादी राहुल कुमार मिश्र एवं अन्य लोगों को कम्पनी में एजेन्ट बनाने तथा लोन दिलाने का विश्वास दिलाकर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, पहचान पत्र एवं ऑफर लेटर दिए गए तथा लगभग 20-25 लोगों से करीब तीन लाख रुपये प्राप्त किए गए।

गिरफ्तार अभियुक्त—

1. मुराद अली पुत्र वली मोहम्मद निवासी ग्राम राजपुर, गढ़मुक्तेश्वर, थाना सिम्भावली, जनपद हापुड़, हाल पता असलातपुरा, थाना सिविल लाइन्स, जनपद मुरादाबाद।

पंजीकृत अभियोग—

01- मु0अ0सं0-224/2024, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 एवं 120बी आईपीसी, थाना कौड़िया, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 गोलू कुमार तिवारी
2. हे0का0 कमलेश यादव।
3. हे0का0 बलविंदर सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक – 29.10.2026

10,000/- रुपये की वसूली के लिए अपने ही अपहरण की झूठी साजिश रचने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन बरामद-

कार्यवाही—

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा दिनांक 28.10.2026 को मु0अ0सं0 सम्बन्धित धारा 308(5) बीएनएस में वांछित/प्रकाश में आये 03 अभियुक्तगण 1. राहुल राजभर उर्फ सूरज पुत्र राजेन्द्र राजभर निवासी पिपरा इस्माइल थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा उम्र करीब 20 वर्ष, 2. मासूम रजा पुत्र स्व0 शमशाद अली निवासी जलालपुर खलंगवा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा उम्र करीब 20 वर्ष तथा 3. शिवम राजभर पुत्र कनिकराम निवासी चुटहवा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे/घटना में प्रयुक्त 03 अदद मोबाइल फोन बरामद किये गये। गिरफ्तार अभियुक्तण के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 27.10.2026 को डायल-112 के माध्यम से पीआरबी-8158 पर इवेण्ट नं0 8891, समय 17:48 बजे शिवम राजभर के अपहरण के सम्बन्ध में उसके भाई सुनील राजभर द्वारा सूचना दी गयी थी। सूचना पर थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए शिवम राजभर के मोबाइल नम्बर को सर्विलांस सेल को लोकेशन हेतु उपलब्ध कराया गया। लगभग 19:00 बजे प्राप्त लोकेशन गन्ने के खेत के पास मिलने पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर काफी तलाश की गयी, जहां हेड कांस्टेबल चन्द्रशेखर मौर्या द्वारा शिवम राजभर को गन्ने के खेत में देखा गया। उसके भाई सुनील राजभर द्वारा उसकी पहचान अपने भाई शिवम राजभर के रूप में की गयी। शिवम को तत्काल उपचार हेतु सीएचसी बभनजोत के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति सामान्य बतायी गयी। प्रारम्भिक पूछताछ के दौरान शिवम द्वारा अपने तीन काल्पनिक दोस्तों विकास, विशाल व राज द्वारा अपहरण कर इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने की बात बतायी गयी, किन्तु उसके शरीर पर किसी प्रकार की चोट अथवा खरोंच का निशान नहीं मिला। शिवम के मोबाइल फोन के अवलोकन एवं सर्विलांस से प्राप्त तकनीकी साक्ष्यों की जांच करने पर उसके द्वारा बतायी गयी घटना संदिग्ध पायी गयी। मोबाइल में उसके भाई सुनील राजभर को वॉयस मैसेज भेजकर तीन लोगों द्वारा मारने की बात बताना, अचेत अवस्था की फोटो भेजना तथा धमकी भरे मैसेज किये जाने की जानकारी भी सामने आयी।

पूछताछ का विवरण—

तकनीकी साक्ष्यों एवं सीडीआर के आधार पर पूछताछ किये जाने पर शिवम राजभर ने अपने साथियों के वास्तविक नाम छिपाने का प्रयास किया, लेकिन कड़ाई एवं तर्कसंगत पूछताछ में उसने बताया कि उसने अपने दोस्त मासूम रजा निवासी जलालपुर खलंगवा तथा अपने ममेरे भाई राहुल राजभर उर्फ सूरज निवासी पिपरा इस्माइल के साथ मिलकर अपने अपहरण की झूठी कहानी रची थी। तीनों ने शराब पीने के बाद योजना बनायी कि शिवम अपने भाई सुनील राजभर से 10,000/- रुपये मांगेगा तथा रुपये मिलने के बाद अयोध्या घूमने जायेंगे। योजना के तहत शिवम को गन्ने के खेत में ले जाकर उसके अपहरण का झूठा घटनाक्रम तैयार किया गया तथा उसके भाई को भ्रमित करने के उद्देश्य से वॉयस मैसेज, फोटो एवं धमकी भरे मैसेज भेजे गये। पूछताछ एवं मोबाइल डाटा/सीडीआर के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्तगण द्वारा शिवम के भाई अखिलेश से 10,000/- रुपये की वसूली करने के उद्देश्य से उसके भाई को जान से मारने की धमकी देकर धनराशि प्राप्त करने का षडयन्त्र रचा गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. राहुल राजभर उर्फ सूरज पुत्र राजेन्द्र राजभर, निवासी पिपरा इस्माइल, थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा,
2. मासूम रजा पुत्र स्व0 शमशाद अली, निवासी जलालपुर खलंगवा, थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा,

3. शिवम राजभर पुत्र कनिकराम, निवासी चुटहवा, थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग—

01- मु0अ0सं0 292/2026, धारा 308(5) बीएनएस, थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

- 03 अदद मोबाइल फोन
 - 01 मोबाइल फोन रेडमी, रंग काला—अभियुक्त शिवम राजभर का।
 - 01 मोबाइल फोन इनफिनिक्स नोट 50S 5G, रंग नीला—सुनील राजभर का।
 - 01 मोबाइल फोन सैमसंग, रंग आसमानी—अभियुक्त मासूम रजा का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 आफाक खाँ, थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा।
2. उ0नि0 छोटेलाल, थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा।
3. हे0का0 चन्द्रशेखर मौर्या।
4. हे0का0 शेषमणि दुबे।
5. का0 नितेश कुमार साव।
6. का0 गौरव मिश्रा।
7. का0 शैलेष प्रताप चौहान।
8. का0 शिवम पाल।

मीडिया सेल. गोण्डा।

ब्रीफ नोट -

विषय: डायल-112 पर तैनात आरक्षी सूरज यादव पीएनओ-182314054 की ईलाज के दौरान मृत्यु के सम्बंध मे।

आरक्षी नागरिक पुलिस 182314034 सूरज यादव, यू0पी0-112 जनपद गोण्डा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अवगत कराया गया कि वह पीलिया एवं टाइफाइड रोग से ग्रसित हैं तथा चिकित्सक द्वारा दिनांक 24.10.2026 को 04 सप्ताह (28 दिवस) बेड रेस्ट की सलाह दी गयी है। उक्त के संबंध में सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी लाइन से जाँच करायी गयी, जिसमें वरिष्ठ परामर्शदाता पुलिस चिकित्सालय, जनपद गोण्डा द्वारा 04 सप्ताह (28 दिवस) बेड रेस्ट तथा अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोण्डा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित चिकित्सीय प्रमाण-पत्र के आधार पर दिनांक 24.10.2026 से 28 दिवस का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया जाना उचित पाया गया। अतः आरक्षी नागरिक पुलिस 182314034 सूरज यादव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, चिकित्सीय प्रमाण-पत्र एवं प्रभारी यू0पी0-112 के अग्रसारण के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए दिनांक 24.10.2026 से 28 दिवस का चिकित्सा अवकाश स्वीकृत किया गया था।

प्रेस नोट

दिनांक – 29.10.2026

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, चोरी की इलेक्ट्रिक झटका मशीन व बैटरी बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 28.10.2026 की रात्रि थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सुभागपुर में अज्ञात चोरों द्वारा सुनील कुमार मौर्या के खेत में बने कमरे का ताला तोड़कर चोरी की घटना कारित की गई थी। चोर कमरे में रखी एक अदद 12 वोल्ट की बैटरी एवं एक अदद इलेक्ट्रिक झटका मशीन चोरी कर ले गए थे। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 1025/2026 धारा 331(4) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही—

दिनांक 30.10.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम सुभागपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास गश्त एवं सुरागरसी कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त चोरी की घटना से संबंधित तीन व्यक्ति चोरी का सामान बेचने की फिराक में चमनमुनी आश्रम श्मशान स्थल के पास झाड़ियों में मौजूद हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अभियुक्तों ने दिनांक 28.10.2026 की रात्रि में चोरी की घटना कारित करना स्वीकार किया। अभियुक्तों की निशानदेही पर पेड़ के पास झाड़ियों में छिपाकर रखी गई एक अदद इलेक्ट्रिक झटका मशीन एवं एक अदद 12 वोल्ट की बैटरी बरामद की गई। गिरफ्तारगण अभियुक्तण के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

1. सोनू पुत्र राम प्रसाद, निवासी भीठी पटखौली, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।
2. उमेश पुत्र फौजदार, निवासी भीठी पटखौली, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।
3. कुलदीप वर्मा पुत्र विक्रम वर्मा, निवासी भीठी पटखौली, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01- मु0अ0सं0 1025/2026, धारा 331(4), 305, 317(2) बीएनएस, थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

1. एक अदद इलेक्ट्रिक झटका मशीन
2. एक अदद बैटरी 12 वोल्ट
3. कुल 480 रुपये नकद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

1. उ0नि0 सुशील कुमार पाण्डेय।
2. हे0का0 विनोद सिंह।
3. का0 नरेन्द्र यादव।
4. का0 विकास यादव।

5. का0 सर्वेश कुमार।

मीडिया सेल, गोण्डा।